न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –46 /2019 जिला दौसा

चौथी मीणा पुत्र स्व.श्री चावला मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम बालाहेडा, तहसील बसवा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा ।
2. उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई, जिला दौसा ।
3. तहसीलदार भू–अभिलेख बसवा, तहसील बसवा, जिला दौसा ।
4. ग्राम पंचायत बालाहेडा, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा जरिये सरपंच ।
5. सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम (पवस), बसवा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर दौसा दिनांक 20.4.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हरिप्रसाद जांगिड़ ।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल ।

निर्णय

दिनांक : 20.10.2020

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय 20.4.2018 उपखण्ड अधिकारी, बॉदीकुई, जिला दौसा के आदेश दिनांक 16.3.2018 व तहसीलदार, मण्डावा, जिला दौसा के आदेश दिनांक 16.10.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

बालाहेडा, तहसील बसवा स्थित भूमि खसरा नं. 340 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, हाल खसरा नं 1424 रकबा 0.02 है0 14234 रकबा 0.10 है0, 1426 रकबा 0.15 हैक्टेयर व खसरा नं. 473 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा हाल खसरा नम्बरान 2297 रकबा 0.02 है0, 2298 रकबा 0.02 है0, 2299 रकबा 0.78 है0, तथा आराजी खसरा नम्बर 296 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, कुल रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पूर्वज चावला पुत्र सुखदेव मीणा व बद्री पुत्र जीन्सी निवासी बालाहेडा को अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसान होने के कारण सलाहकार समिति की सहमति से अपीलान्ट के पूर्वजों का सम्वत् 2033से पूर्व का कब्जा काश्त होने के आधार पर दिनांक 15.11.1977 व 29.11.1977 आवंटन किया गया था तथा अपीलान्ट के पूर्वजों को मौके पर हल चलवाकर काबिज काश्त करवा दिया था । उक्त आवंटन होने के बाद से अपीलार्थी के पूर्वज उक्त कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं । उक्त भूमि दिनांक 15.11.1977 से 29.11.1977 को खातेदारी अधिकारी देते हुए आवंटन हुई । आवंटन करते समय भूमि की किस्म बंजड पडत थी तथा ऊँचे–नीचे मिट्टी के टीबे थे जिन्हें मिन अपीलान्ट व उसके पूर्वजों द्वारा अपने धन व मेहनत से समतल व कृषि योग्य

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बनाकर फिर उस पर तभी से कृषि काश्त की जाने लगी तथा साथ ही राज्य सरकार भी सम्वत् 2033 सें पूर्व से ही कब्जा काश्त होने के आधार पर व आवंटन कमेटी के उक्त खसरा नम्बरान को अपीलान्ट को आवंटन करने के बाद से ही राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम नियमित करते हुए लगान व अन्य देय भूमि पर वसूल करते आ रहे थे तथा जिन्हें अपीलांट के पूर्वजों ने समय–समय पर जमा करवाते रहे हैं ।

2. ग्राम पंचायत बालाहेडा के सरपंच द्वारा अपीलांट से निजी रंजिश के चलते सरपंच व ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त की उक्त भूमि के लगती हुई भूमि खसरा नं. 4117 /1441 रकबा 0.80 है0 भूमि किस्म बारानी चरागाह में से विद्युत विभाग 33 के.वी. के लिए जी.एस.एस पावर हाउस बनाने वास्ते विपक्षी संख्या 5 को उक्त भूमि में से 0.25 भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया । जिस पर दिनांक 27.2.18 को मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई एवं उक्त रिपोर्ट तहसीलदार भू–अभिलेख , तहसील बसवा जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई । जिस पर दिनांक 28.2.18 को कार्यालय सहायक अभियंता (प.व.स) जयपुर डिस्कॉम, बसवा ने पत्रांक : स.अ. /पवस /जविविनिलि /बसवा दिनांक 28.2.18 के द्वारा उक्त भूमि का आवंटन जीएसएस निर्माण हेतु निवेदन किया । उक्त पत्र प्राप्ति के बाद तहसीलदार भू–अभिलेख द्वारा तहसीलदार बसवा से उक्त भूमि के संबंध में बिन्दूवार जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर अति0जिला कलेक्टर, दौसा को तहसीलदार भू–अभिलेख बसवा द्वारा रकल नक्शा ट्रेस करते हुए दिनांक 9.3.18 को अपने पत्रांक : भू–अभिलेख /2018 /1176 करते हुए पटवार हल्का के आधार पर बिन्दूवार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई, जिला दौसा द्वारा जिला कलेक्टर, दौसा को उक्त भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव दिनांक 16.3.18 को भिजवाया गया, जिस पर अति. जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा दिनांक 26.3.18 को पत्रांक : 2730 के द्वारा सहायक अभियंता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, बसवा को सूचित किया कि डी.एल.सी. दर के आधार पर भूमि की कीमत राशि 2,32,202 /–रू. एवं प्रथम वर्ष की लीज किराया राशि 32,202/–रू. कुल राशि 2,55,222 /–रू.जरिये चालान तहसीलदार बसवा के यहां प्रस्तुत करें, जिस पर सहायक अभियंता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, बसवाद्वारा जरिये चालान उक्त राशि दिनांक 16.4.2018 को जमा करवा दी गई ।

3. दिनांक 20.4.2018 को जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का आवंटन बिना किसी जॉच व बिना किसी नोटिस अपीलांट को दिये रेस्पोडेन्ट नं. 4 के हक में कर दिया गया । उक्त भूमि जो कि खसरा नं. 4117 /1411 रकबा 0.8. है0 में से 0.25 है0 33/11 के.वी. विद्युत सब स्टेशन बालाहेडा तहसील बसवा के लिए आवंटित की गई उसके बदले ग्राम बालाहेडा तहसील बसवा में स्थित सिवायचक खसरा नं 2208 रकबा 15.14 है0 में से 0.25 है0 भूमि को क्षतिपूर्ति हेतु दिनांक 20.4.2018 को चरागाह में परिवर्तित करने के आदेश पारित किये गये । उक्त आदेश पारित करने से पूर्व ना तो उक्त खसरा नम्बरान की भूमि की पैमाईश करवाई गई और ना ही उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया एवं संबंधित अधिकारियों के द्वारा आनन–फानन में अपीलान्ट की उक्त भूमि को सिवायचक भूमि मानते हुए जबरन कब्जा करते हुए मिन अपीलान्ट को जबरन बेदखल किया जा रहा है । उक्त आदेश दिनांक 20.4.2018 से व्यथित होकर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. बहस में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन था कि दिनांक 15.11.77 को आराजी खसरा नं0 340 व 473 के नये नम्बर 1424, 1425, 1426, 2298, 2297 व 2299 कायम कर अपीलान्ट को आवंटित की गई। इसके अलावा खसरा नं0 370 का आवंटन पत्र अपीलान्ट को जारी नही हुआ लेकिन उक्त भूमि भी अपीलान्ट की थी । ग्राम पंचायत की अभिशंषा पर जिला कलक्टर दौसा द्वारा ग्राम बालाहेडा तह0 बसवा स्थित आराजी खसरा नम्बर 4117/1411 रकबा 0.25 है0 रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को आवंटित की गई तथा सिवायचक भूमि खसरा नं0 2208 को चारागाह में परिवर्तित की गई है। लेकिन उक्त भूमि के पास स्थित अपीलान्ट की भूमि को इसमें मिला लिया गया । उक्त भूमि पर फसल खडी है तथा उसमें बिजली के पोल लगाये जा रहे है। ऐसी स्थिति में चूंकि जिला कलक्टर दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 5 को किया गया आवंटन गलत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 20.04.2018, इन्तकाल दिनांक 06.06.2018, उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 16.03.2018 तथा तहसीलदार मण्डावर का आदेश दिनांक 16.10.2018 निरस्त किया जाए।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर बहस में निवेदन किया कि पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए विवादित आराजी 4117/1411 रकबा 0.25 है0 रेस्पोडेन्ट 5 को आवंटित किया गया तथा खसरा नं0 2208 की 0.25 है0 भूमि को सिवायचक से चरागाह में परिवर्तित की गई। यदि अपीलान्ट को खसरा नं0 2208 के पास स्थित उनकी भूमि के संबंध में आपत्ति है तो वह उसका सीमाज्ञान करवा सकते है । क्योकि जिला कलक्टर द्वारा पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर भूमि का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील खारिज की जाए ।

7. पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया व विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया । अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 22.04.2018, उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई के आदेश दिनांक 16.03.2018, तहसीलदार मण्डावर के आदेश दिनांक 16.10.2018 को निरस्त करने के संबंध में यह अपील पेश की है। परन्तु उप खण्ड अधिकारी, बांदीकुई द्वारा दिनांक 16.03.2018 को किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया। उनके द्वारा पत्र दिनांक 16.3.2018 से प्रश्नगत आराजी के आवंटन के प्रस्ताव जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया है। चूंकि यह कोई आदेश नहीं है । अतः उक्त पत्र के संबंध में कोई अपील नहीं की जा सकती । इसी प्रकार अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार मण्डावर के तथा–कथित आदेश दिनांक 16.10.2018 के संबंध में भी यह अपील पेश की है। जबकि यह भी कोई आदेश नही होकर उप खण्ड अधिकारी महवा को आवंटन भूमि का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराने हेतु एक पत्र मात्र है जिसकी कोई अपील नहीं की जा सकती है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 20.04.2018 जिसके द्वारा ग्राम बालाहेडा तह0 बसवा स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नं0 4117/1411 रकबा 0.25 है0 को चारागाह से खारिज कर विद्युत सब स्टेशन बालाहेडा के निर्माणार्थ राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को आवंटित की गई है। उक्त भूमि के बदले ग्राम बालाहेडा तह0 बसवा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं0 2208 रकबा 0.25 है0 को क्षतिपूर्ति के रूप में चारागाह में परिवर्तित किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही जिला कलक्टर द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण प्रकिया अपना कर की गई । क्योंकि विवादित आराजी खसरा नं0 4117/1411 राजकीय चारागाह भूमि है, जिसके आवंटन का अधिकार जिला कलक्टर को प्राप्त है तथा खसरा नं0 2208 राजकीय सिवायचक भूमि है, जिसको चारागाह में परिवर्तित करने के अधिकार भी जिला कलक्टर को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2018 में किसी भी प्रकार की त्रुटि नही होना पाया जाता है। अपीलान्ट की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि आवंटित भूमि तथा चारागाह में परिवर्तित भूमि की बिना पैमाईश करे ही आवंटन की कार्यवाही की गई तथा उक्त भूमि के पास अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा कर उसे बेदखल किया जा रहा है। चूंकि जिला कलक्टर दौसा द्वारा किये गये भूमि आवंटन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। यदि अपीलान्ट यह मानता है कि उसकी भूमि पर किसी के द्वारा कब्जा किया जा रहा है तो वह इस संबंध में सक्षम न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

9. अतः उपरोक्तानुसार अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर